2019 का विधेयक संख्यांक 376

[दि इन्सोलवेंसी एंड बैंकरपसी कोड (सेकैंड अमेंडमेंट) बिल, 2019 का हिन्दी अनुवाद]

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2019

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016
का और संशोधन
करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2019 है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे :

परंतु इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और ऐसे किसी उपबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस उपबंध के प्रवृत्त होने के प्रति निर्देश है ।

धारा 5 का संशोधन ।

2. मूल अधिनियम की धारा 5 में,—

(i) खंड (12) में परंतुक का लोप किया जाएगा ;

(ii) खंड (15) में, "दिवाला समाधान प्रक्रिया अवधि के दौरान समाधान वृत्तिक द्वारा लिया गया कोई वित्तीय ऋण" शब्दों के पश्चात्, "और ऐसा अन्य ऋण, जो अधिसूचित किया जाए" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ।

धारा 7 का संशोधन ।

3. मूल अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) में स्पष्टीकरण से पहले निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"परंतु धारा 21 की उपधारा (6क) के खंड (क) और खंड (ख) में निर्दिष्ट वित्तीय लेनदारों के लिए, निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया को आरंभ करने के लिए कोई आवेदन उसी वर्ग के ऐसे कम से कम एक सौ लेनदारों या उसी वर्ग के ऐसे लेनदारों की कुल संख्या के कम से कम दस प्रतिशत, इनमें से जो भी कम हो, द्वारा संयुक्तत: फाइल किया जाएगा :

परंतु यह और कि ऐसे वित्तीय लेनदारों के लिए, जो किसी भू-संपदा परियोजना के अधीन आबंटिती हैं, निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया आरंभ करने के लिए एक आवेदन उसी भू-संपदा परियोजना के अधीन ऐसे कम से कम एक सौ आबंटितियों द्वारा या उसी भू-संपदा परियोजना के अधीन ऐसे कुल आबंटितियों की संख्या के कम से कम दस प्रतिशत, इनमें से जो भी कम हो, द्वारा संयुक्तत: फाइल किया जाएगा :

परंतु यह भी कि जहां किसी निगमित ऋणी के विरुद्ध निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया आरंभ करने के लिए कोई आवेदन पहले और दूसरे परंतुक में निर्दिष्ट वित्तीय लेनदार द्वारा फाइल किया गया है और उसे दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2019 के प्रारंभ से पूर्व न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है, वहां ऐसा आवेदन उक्त अधिनियम के प्रारंभ के तीस दिन के भीतर, पहले और दूसरे परंतुक की अपेक्षाओं का अनुपालन करने के लिए उपांतरित किया जाएगा, जिसके न हो सकने पर ऐसा आवेदन उसके स्वीकार किए जाने से पूर्व वापस लिया गया समझा जाएगा ।"।

धारा 11 का संशोधन ।

4. मूल अधिनियम की धारा 11 में, स्पष्टीकरण को स्पष्टीकरण 1 के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार संख्यांकित स्पष्टीकरण 1 के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"**स्पष्टीकरण 2**—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि इस धारा में की कोई बात खंड (क) से खंड (घ) में निर्दिष्ट निगमित ऋणी को किसी अन्य निगमित ऋणी के विरुद्ध निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया आरंभ करने से निवारित नहीं करेगी ।"।

धारा 14 का संशोधन ।

5. मूल अधिनियम की धारा 14 में,—

(क) उपधारा (1) में, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"**स्पष्टीकरण**—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकारी या

तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन गठित सेक्टरीय विनियामक या किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापत्र, रजिस्ट्रीकरण, कोटा, रियायत, समाशोधन या वैसा ही अनुदान या अधिकार का प्रदान किया जाना, दिवाला के आधारों पर इस शर्त के अधीन रहते हुए निलंबित या पर्यवसित नहीं किया जाएगा कि अधिस्थगन अवधि के दौरान अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापत्र, रजिस्ट्रीकरण, कोटा, रियायत, समाशोधन या वैसे ही अनुदान या अधिकार के उपयोग या उसके बने रहने के कारण उद्भूत होने वाले चालू शोध्यों के संदाय में कोई व्यतिक्रम नहीं किया गया है ।";

(ख) उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(2क) माल या सेवाओं का प्रदाय, जिसे, यथास्थिति, अंतरिम समाधान वृत्तिक या समाधान वृत्तिक, निगमित ऋणी के मूल्य को संरक्षित और परिरक्षित करने और ऐसे निगमित ऋणी की संक्रियाओं का चालू समुत्थान के रूप में प्रबंध करने को महत्वपूर्ण समझता है तो ऐसे माल या सेवाओं का प्रदाय अधिस्थगन की अवधि के दौरान ही पर्यवसित, निलंबित या विच्छिन्न नहीं किया जाएगा, सिवाय इसके यदि ऐसे निगमित ऋणी ने अधिस्थगन अवधि के दौरान या ऐसी परिस्थितियों में, जो विनिर्दिष्ट की जाएं, ऐसे प्रदाय से उद्भूत होने वाले शोध्यों का संदाय नहीं किया है ।";

(ग) उपधारा (3) में, खंड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(क) ऐसे संव्यवहार, करार, अन्य ठहराव, जो केंद्रीय सरकार द्वारा, किसी वित्तीय सेक्टर विनियामक या किसी अन्य प्राधिकारी के परामर्श से अधिसूचित किए जाएं ;"।

धारा 16 का संशोधन ।

6. मूल अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (1) में, "दिवाला प्रारंभ की तारीख से चौदह दिन के भीतर" शब्दों के स्थान पर, "दिवाला प्रारंभ की तारीख को" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 21 का संशोधन ।

7. मूल अधिनियम की धारा 21 की उपधारा (2) के दूसरे परंतुक में, "इक्विटी शेयरों में संपरिवर्तनीय लिखतों के संपरिवर्तन" शब्दों के पश्चात्, "या ऐसे संव्यवहारों, जो विहित किए जाएं, के पूरे हो जाने पर" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ।

धारा 23 का संशोधन ।

8. मूल अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (1) में, परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु समाधान वृत्तिक निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया की समाप्ति के पश्चात् निगमित ऋणी की संक्रियाओं का प्रबंध तब तक करता रहेगा, जब तक धारा 31 की उपधारा (1) के अधीन समाधान योजना का अनुमोदन करने वाला या धारा 34 के अधीन समापक की नियुक्ति करने वाला आदेश न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा पारित नहीं कर दिया जाता है ।"।

धारा 29क का संशोधन ।

9. मूल अधिनियम की धारा 29क में,—

(i) खंड (ग) के दूसरे परंतुक के स्पष्टीकरण 1 में, "इक्विटी शेयरों में

संपरिवर्तनीय लिखतों" शब्दों के पश्चात्, "या ऐसे संव्यवहारों, जो विहित किए जाएं, के पूरे हो जाने पर" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(ii) खंड (ञ) के दूसरे परंतुक में, "इक्विटी शेयरों में संपरिवर्तनीय लिखतों" शब्दों के पश्चात्, "या ऐसे संव्यवहारों, जो विहित किए जाएं, के पूरा किए जाने पर" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ।

नई धारा 32क का अंत:स्थापन ।

10. मूल अधिनियम की धारा 32 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

पूर्व में किए गए अपराधों के लिए दायित्व, आदि।

"32क. (1) इस संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया के प्रारंभ होने से पूर्व किए गए ऐसे अपराध के लिए निगमित ऋणी का दायित्व धारा 31 के अधीन न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा समाधान योजना के अनुमोदित किए जाने की तारीख से समाप्त हो जाएगा और निगमित ऋणी ऐसे अपराध के लिए अभियोजित नहीं किया जाएगा, यदि समाधान योजना का परिणाम किसी ऐसे व्यक्ति,—

(क) जो संप्रवर्तक नहीं था या निगमित ऋणी के प्रबंधन या नियंत्रण में नहीं था या ऐसे व्यक्ति का संबद्ध पक्षकार नहीं था ; या

(ख) जो ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसके संबंध में सुसंगत अन्वेषण प्राधिकारी के पास उसके कब्जे में सामग्री के आधार पर यह विश्वास करने का कारण है कि उसने अपराध को करने के लिए दुष्प्रेरण किया था या षड्यंत्र रचा था और सुसंगत कानूनी प्राधिकारी या न्यायालय को रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है या उसके पास शिकायत फाइल कर दी है :

परंतु यदि कोई अभियोजन ऐसे निगमित ऋणी के विरुद्ध निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया के दौरान संस्थित किया गया है तो वह इस उपधारा की अपेक्षाओं के पूरा किए जाने के अध्यधीन समाधान योजना की तारीख से उन्मोचित हो जाएगा :

परंतु यह और कि ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 की धारा 2 के खंड (ञ) में यथा परिभाषित "पदाभिहित भागीदार" था, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड (60) में यथा परिभाषित "ऐसा कोई अधिकारी था, जो व्यतिक्रमी है" या ऐसे अपराध के किए जाने में अपने कारबार के संचालन के लिए किसी भी रीति में निगमित ऋणी का भारसाधक था या उसके प्रति उत्तरदायी था, या किसी भी रीति में निगमित ऋणी के साथ सहयुक्त था और जो अन्वेषण प्राधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट या फाइल की गई शिकायत के अनुसार ऐसे अपराध के किए जाने में प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः संलिप्त था, इस बात के होते हुए भी कि निगमित ऋणी का दायित्व इस उपधारा के अधीन समाप्त हो गया है, निगमित ऋणी द्वारा किए ऐसे अपराध के लिए अभियोजित किए जाने और दंडित किए जाने के लिए दायी बना रहेगा ।

2009 का 6
2013 का 18

(2) निगमित ऋणी की निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया के प्रारंभ से पूर्व किए गए ऐसे अपराध के संबंध में निगमित ऋणी की संपत्ति के विरुद्ध वहां कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, जहां ऐसी संपत्ति धारा 31 के अधीन

न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित समाधान योजना के अंतर्गत नहीं आती है, जिसका परिणाम किसी ऐसे व्यक्ति के लिए निगमित ऋणी के नियंत्रण में या ऐसे व्यक्ति के लिए इस संहिता के भाग 2, अध्याय 3 के उपबंधों के अधीन समापन आस्तियों के विक्रय में परिवर्तन है जो,—

(i) संप्रवर्तक नहीं था या निगमित ऋणी के प्रबंधन या नियंत्रण में नहीं था या ऐसे व्यक्ति का संबद्ध पक्षकार नहीं था ; या

(ii) जो ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसके संबंध में सुसंगत अन्वेषण प्राधिकारी के पास उसके कब्जे में सामग्री के आधार पर यह विश्वास करने का कारण है कि उसने अपराध को करने के लिए दुष्प्रेरण किया था या षड्यंत्र रचा था और सुसंगत कानूनी प्राधिकारी या न्यायालय को रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है या उसके पास शिकायत फाइल कर दी है ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि,—

(i) ऐसे किसी अपराध के संबंध में निगमित ऋणी की संपत्ति के विरुद्ध किसी कार्रवाई में ऐसी विधि के अधीन, जो निगमित ऋणी को लागू हो, ऐसी संपत्ति की कुर्की, अभिग्रहण, प्रतिधारण या जब्ती सम्मिलित होगी ;

(ii) इस उपधारा में किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह निगमित ऋणी या किसी ऐसे व्यक्ति से भिन्न किसी ऐसे व्यक्ति की संपत्ति के विरुद्ध किसी कार्रवाई को वर्जित करती है, जिसने इस संहिता के अधीन निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया के माध्यम से या समापन प्रक्रिया के माध्यम से ऐसी संपत्ति का अर्जन किया है और वह इस धारा में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं को पूरा करता है, जिसके विरुद्ध ऐसी कार्रवाई ऐसी विधि के अधीन की जा सकेगी, जो लागू हो ।

(3) उपधारा (1) और उपधारा (2) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए और इस धारा में प्रदान की गई उन्मुक्ति के होते हुए भी ऐसा निगमित ऋणी और ऐसा कोई व्यक्ति, जिससे ऐसे निगमित ऋणी या व्यक्ति को लागू ऐसी विधि के अधीन सहायता प्रदान करने की अपेक्षा की जाए, निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया के प्रारंभ से पूर्व किए गए अपराध का अन्वेषण करने वाले किसी प्राधिकारी को सभी सहायता और सहयोग प्रदान करेगा ।"।

धारा 227 का संशोधन ।

11. मूल अधिनियम की धारा 227 में,—

(i) "इस संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी" शब्दों के स्थान पर, "इस संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"**स्पष्टीकरण**—शंकाओं को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि वित्तीय सेवा प्रदाताओं या वित्तीय सेवा प्रदाताओं के प्रवर्गों के लिए दिवाला और समापन कार्यवाहियां ऐसे उपांतरणों सहित और ऐसी रीति में, जो विहित की जाएं, संचालित की जाएंगी ।"।

धारा 239 का संशोधन ।

12. मूल अधिनियम की धारा 239 की उपधारा (2) के खंड (च) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"(चक) धारा 21 की उपधारा (2) के दूसरे परंतुक के अधीन संव्यवहार ;

(चख) धारा 29क के खंड (ग) के स्पष्टीकरण 1 के अधीन संव्यवहार ;

(चग) धारा 29क के खंड (ञ) के दूसरे परंतुक के अधीन संव्यवहार ;"।

धारा 240 का संशोधन ।

13. मूल अधिनियम की धारा 240 की उपधारा (2) के खंड (झ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(झक) वे परिस्थितियां, जिनमें महत्वपूर्ण माल या सेवाओं का प्रदाय, धारा 14 की उपधारा (2क) के अधीन अधिस्थगन की अवधि के दौरान पर्यवसित किया जा सकेगा, निलंबित किया जा सकेगा या विच्छिन्न किया जा सकेगा ;"।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (संहिता) निगमित व्यक्तियों, भागीदारी फर्मों और व्यष्टियों के पुनर्गठन तथा दिवाला समाधान से संबंधित विधियों का, ऐसे व्यक्तियों की आस्तियों के मूल्य के अधिकतमीकरण की समयबद्ध रीति में समेकन और संशोधन करने, उद्यमिता, प्रत्यय और अतिशेष की उपलब्धता, सभी पणधारियों के हितों, जिनके अंतर्गत सरकारी शोध्यों के संदाय के क्रम या पूर्विक्ता में परिवर्तन भी है, का संवर्धन करने और भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड की स्थापना करने की दृष्टि से अधिनियमित की गई थी।

2. यदि कंपनी निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया या समापन में चली जाती है तो दिवाला को रोकने के लिए निगमित ऋणियों के लिए, वित्तीय लेनदारों के कतिपय वर्गों द्वारा संहिता के संभाव्य दुरुपयोग को रोकने के लिए, निगमित ऋणी के अभियोजन और निगमित ऋणी की संपत्ति के विरुद्ध कार्रवाई के विरुद्ध उन्मुक्ति प्रदान करने और कतिपय शर्तों के पूरा किए जाने के अधीन रहते हुए सफल समाधान आवेदक के लिए अंतिम चरणबद्ध वित्तपोषण के प्रतिदाय में उच्चतम पूर्विक्ता प्रदान करने की आवश्यकता महसूस की गई थी और निगमित दिवाला कार्यढांचे में महत्वपूर्ण अंतरों को पूरा करने के लिए, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के कतिपय उपबंधों का संशोधन करना आवश्यक हो गया है।

3. अन्य बातों के साथ-साथ, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2019, निम्नलिखित के लिए उपबंध करता है, अर्थात् :—

(i) संहिता की धारा 5 के खंड (12) के परंतुक का लोप करना, जिससे यह स्पष्ट किया जा सके कि दिवाला प्रारंभ तारीख निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया आरंभ करने के लिए आवेदन के स्वीकार किए जाने की तारीख ही है;

(ii) संहिता की धारा 7 का संशोधन करना, जिससे दिवाला समाधान प्रक्रिया आरंभ करने के लिए वित्तीय लेनदारों के कतिपय वर्गों के लिए न्यूनतम अवसीमा विनिर्दिष्ट करने वाले कतिपय परंतुक अंत:स्थापित किए जा सकें।

(iii) संहिता की धारा 11 का संशोधन करना, जिससे यह स्पष्ट किया जा सके कि निगमित ऋणी को अन्य निगमित ऋणियों के विरुद्ध निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया के आरंभ के लिए आवेदन फाइल करने से नहीं रोका जाना चाहिए;

(iv) संहिता की धारा 14 का संशोधन करना, जिससे यह स्पष्ट किया जा सके कि अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापत्र, रजिस्ट्रीकरण, कोटा, रियायत, समाशोधन या कोई वैसा ही अनुदान या अधिकार अधिस्थगन अवधि के दौरान पर्यवसित या निलंबित नहीं किए जा सकते हैं;

(v) संहिता की धारा 16 का संशोधन करना, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि दिवाला समाधान वृत्तिक को दिवाला समाधान प्रक्रिया के आरंभ किए जाने के लिए आवेदन को स्वीकार करने की तारीख को नियुक्त किया जाना चाहिए;

(vi) संहिता की धारा 23 का संशोधन करना जिससे निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया की समाप्ति से, समापक की नियुक्ति किए जाने तक, के बीच

की अंतरिम अवधि के दौरान निगमित ऋणी के कार्यकलापों का प्रबंध करने के लिए "समाधान वृतिक" को समर्थ बनाया जा सके;

(vii) नई धारा 32क अंत:स्थापित करना, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया के प्रारंभ से पूर्व किए गए किसी अपराध के लिए निगमित ऋणी का दायित्व, कतिपय परिस्थितियों में समाप्त हो जाएगा;

(viii) संहिता की धारा 227 का संशोधन करना, जिससे यह स्पष्ट किया जा सके कि वित्तीय सेवा प्रदाताओं के लिए दिवाला और समापन कार्यवाहियां ऐसे उपांतरणों के साथ और ऐसी रीति में, जो विहित की जाएं, संचालित की जा सकेंगी; और

(ix) ऐसे अन्य संशोधन, जो पारिणामिक प्रकृति के हैं ।

4. विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए है।

नई दिल्ली ;
10 दिसंबर, 2019

निर्मला सीतारमण

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक में, यदि अधिनियमित किया जाए, भारत की संचित निधि से कोई आवर्ती या अनावर्ती व्यय अंतर्वलित नहीं होगा।

प्रत्यायोजित विधान के बारे में ज्ञापन

विधेयक का खंड 5 संहिता की धारा 14 की उपधारा (2क) अंत:स्थापित करने के लिए है, जो बोर्ड को ऐसी परिस्थितियां विनिर्दिष्ट करने के लिए शक्तियां प्रदत्त करती है जिनमें महत्वपूर्ण माल या सेवाओं के प्रदाय को धारा 14 की उपधारा (2क) के अधीन अधिस्थगन की अवधि के दौरान पर्यवसित, निलंबित या विच्छिन्न किया जा सकेगा।

विधेयक का खंड 7 संहिता की धारा 21 का संशोधन करने के लिए है, जो केन्द्रीय सरकार को धारा 21 की उपधारा (2) के दूसरे परंतुक के अधीन संव्यवहार विहित करने के लिए शक्ति प्रदत्त करती है।

विधेयक का खंड 9 संहिता की धारा 29 का संशोधन करने के लिए है, जो केन्द्रीय सरकार को धारा 29क के खंड (ग) के स्पष्टीकरण 1 के अधीन संव्यवहारों को और धारा 29क के खंड (ञ) के दूसरे परंतुक के अधीन संव्यवहारों को विहित करने की शक्ति प्रदत्त करती है।

2. वे विषय, जिनके संबंध में पूर्वोक्त नियम और विनियम बनाए जा सकेंगे, प्रक्रिया और प्रशासनिक ब्यौरों के विषय हैं, और इस प्रकार, प्रस्तावित विधेयक में ही उनके लिए उपबंध करना व्यवहार्य नहीं है। अत:, विधायी शक्ति का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है।

उपाबंध

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का अधिनियम संख्यांक 31) से उद्धरण

* * * * *

5. इस भाग में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,— परिभाषाएं।

* * * * *

(12) "दिवाला प्रारंभ की तारीख" से निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए, यथास्थिति, धारा 7, धारा 9 या धारा 10 के अधीन न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा किसी आवेदन को ग्रहण करने की तारीख अभिप्रेत है :

परन्तु जहां धारा 7, धारा 9 या धारा 10 के अधीन आवेदन को स्वीकार करने वाले आदेश में किसी अंतरिम समाधान वृत्तिक की नियुक्ति नहीं की जाती है, वहां दिवाला प्रारंभ होने की तारीख वह होगी, जिसको न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा ऐसे अंतरिम समाधान वृत्तिक की नियुक्ति की जाती है ;

* * * * *

(15) "अंतरिम वित्त" से दिवाला समाधान प्रक्रिया अवधि के दौरान समाधान वृत्तिक द्वारा लिया गया कोई वित्तीय ऋण अभिप्रेत है;

* * * * *

7. (1) जब कोई व्यतिक्रम होता है तो वित्तीय लेनदार स्वयं या किन्हीं अन्य वित्तीय लेनदारों के साथ संयुक्त रूप से न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के समक्ष किसी निगमित ऋणी के विरुद्ध, निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए आवेदन फाइल कर सकेगा । वित्तीय लेनदार द्वारा निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया का प्रारंभ ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, किसी व्यतिक्रम के अंतर्गत न केवल आवेदक वित्तीय लेनदार को देय किसी वित्तीय ऋण के संबंध में कोई व्यतिक्रम आता है बल्कि निगमित ऋणी के किसी अन्य वित्तीय लेनदार को देय वित्तीय ऋण के संबंध में व्यतिक्रम भी आता है ।

* * * * *

11. निम्नलिखित व्यक्ति इस अध्याय के अधीन निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया आरंभ करने के लिए कोई आवेदन करने के लिए हकदार नहीं होंगे, अर्थात् :— व्यक्ति जो आवेदन करने के लिए हकदार नहीं ।

(क) कोई निगमित ऋणी जो किसी निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया को भुगत रहा है; या

(ख) कोई निगमित ऋणी जिसने आवेदन करने की तारीख से बारह मास पूर्व निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया पूर्ण की है; या

(ग) कोई निगमित ऋणी या कोई वित्तीय लेनदार, जिसने ऐसी समाधान योजना, जो इस अध्याय के अधीन किसी आवेदन के किए जाने की तारीख से बारह महीने पूर्व अनुमोदित की गई थी, के किन्हीं निबंधनों का उल्लंघन किया है; या

(घ) कोई निगमित ऋणी, जिसके संबंध में कोई परिसमापन आदेश किया

गया है ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए किसी निगमित ऋणी के अंतर्गत ऐसे निगमित ऋणी के संबंध में कोई निगमित आवेदक भी है ।

* * * * *

अधिस्थगन ।

14. (1) उपधारा (2) और उपधारा (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, दिवाला प्रारंभ की तारीख को, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी आदेश द्वारा निम्नलिखित सभी को प्रतिषिद्ध करने के लिए अधिस्थगन की घोषणा करेगा, अर्थात् :—

(क) निगमित ऋणी के विरुद्ध वाद को संस्थित करने या लम्बित वादों और कार्यवाहियों को जारी रखने, जिसके अंतर्गत किसी न्यायालय, अधिकरण, माध्यस्थम्, पैनल या अन्य प्राधिकारी के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश का निष्पादन भी है;

(ख) निगमित ऋणी द्वारा उसकी किसी आस्ति या किसी विधिक अधिकार या उसमें किसी फायदाग्राही हित का अंतरण, विल्लंगम, अन्य संक्रामण या व्ययन करना;

(ग) अपनी संपत्ति के संबंध में निगमित ऋणी द्वारा सृजित किसी प्रतिभूति हित के पुरोबंध, वसूली या प्रवृत्त करने की कोई कार्रवाई जिसके अंतर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2000 के अधीन कोई कार्रवाई भी है;

2002 का 54

(घ) किसी स्वामी या पट्टाकर्ता द्वारा किसी संपत्ति की वसूली जहां ऐसी संपत्ति निगमित ऋणी के अधिभोग में है या उसके कब्जे में है ।

* * * * *

(3) उपधारा (1) के उपबंध निम्नलिखित को लागू नहीं होंगे,--

(क) ऐसा संव्यवहार, जो वित्तीय विनियामक के परामर्श से केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए ;

* * * * *

अंतरिम समाधान वृत्तिक की नियुक्ति और पदावधि ।

16. (1) न्यायनिर्णायक प्राधिकारी, दिवाला प्रारंभ की तारीख से चौदह दिन के भीतर कोई अंतरिम समाधान वृत्तिक नियुक्त करेगा ।

* * * * *

लेनदारों की समिति ।

21. (1) * * * * *

(2) लेनदारों की समिति निगमित ऋणी के सभी वित्तीय लेनदारों से मिलकर बनेगी :

* * * * *

परंतु यह और कि पहला परंतुक किसी ऐसे वित्तीय लेनदार, जो किसी वित्तीय क्षेत्र के विनियामक द्वारा विनियमित है, को लागू नहीं होगा, यदि वह दिवाला प्रारंभ होने की तारीख से पूर्व, मात्र ऋण के ईक्विटी शेयरों या ईक्विटी शेयरों में संपरिवर्तनीय लिखतों के परिवर्तन या प्रतिस्थापन के मद्दे निगमित ऋण का संबंधित पक्षकार है ।

* * * * *

समाधान वृत्तिक द्वारा निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया संचालित करना ।

23. (1) धारा 27 के अधीन रहते हुए समाधान वृत्तिक संपूर्ण निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया संचालित करेगा और निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया की अवधि के दौरान निगमित ऋणी के प्रचालन का प्रबंध करेगा :

परंतु समाधान वृत्तिक, यदि धारा 30 की उपधारा (6) के अधीन समाधान योजना को प्रस्तुत कर दिया गया है तो निगम दिवाला समाधान प्रक्रिया अवधि के अवसान के पश्चात् भी तब तक निगमित ऋणी के प्रचालनों के प्रबंध को जारी रखेगा, जब तक कि न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा धारा 31 के अधीन कोई आदेश पारित नहीं कर दिया जाता है ।

* * * * *

वे व्यक्ति, जो समाधान आवेदक होने के पात्र नहीं हैं ।

29क. कोई व्यक्ति, कोई समाधान योजना प्रस्तुत करने का तब पात्र नहीं होगा यदि ऐसा व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से या मिलकर कार्य करने वाला कोई अन्य व्यक्ति—

* * * * *

(ग) कोई ऐसा खाता या ऐसे व्यक्ति के या उस व्यक्ति के, जिसका ऐसा व्यक्ति संप्रवर्तक है, प्रबंधतंत्र या नियंत्रण के अधीन कोई निगमित ऋणी, कोई ऐसा खाता रखता है जिसे बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के अधीन जारी किए गए भारतीय रिज़र्व बैंक के मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार गैर-निष्पादक आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है और ऐसे वर्गीकरण की तारीख से निगमित ऋणी की निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया प्रारंभ होने की तारीख तक कम से कम एक वर्ष की अवधि व्यपगत हो गई है :

1949 का 10

* * * * *

परंतु यह और कि इस खंड की कोई बात किसी समाधान आवेदक को वहां लागू नहीं होगी, जहां ऐसा आवेदक कोई वित्तीय अस्तित्व है और वह निगमित ऋणी से संबंधित पक्षकार नहीं है ।

स्पष्टीकरण 1–इस परंतुक के प्रयोजनों के लिए, "संबंधित पक्षकार" पद में ऐसा कोई वित्तीय अस्तित्व सम्मिलित नहीं होगा, जो किसी वित्तीय क्षेत्र विनियामक द्वारा विनियमित है तथा यदि वह निगमित ऋणी का वित्तीय लेनदार है और वह दिवाला प्रारंभ होने की तारीख से पूर्व, मात्र ऋण को ईक्विटी शेयरों में संपरिवर्तित या प्रतिस्थापित करने या ईक्विटी शेयरों में संपरिवर्तनीय लिखतों के मद्दे निगमित ऋणी का संबंधित पक्षकार है ।

* * * * *

(ञ) कोई ऐसा संसक्त व्यक्ति रखता है जो खंड (क) से खंड (झ) के अधीन पात्र नहीं है ।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "संसक्त व्यक्ति" पद से अभिप्रेत है—

(i) ऐसा कोई व्यक्ति, जो समाधान आवेदक का संप्रवर्तक है या उसके प्रबंधतंत्र या नियंत्रण में है ; या

(ii) ऐसा कोई व्यक्ति, जो समाधान योजना के क्रियान्वयन के दौरान निगमित ऋणी के कारबार का संप्रवर्तक या उसके प्रबंधतंत्र या नियंत्रण में होगा ;

या

(iii) खंड (i) और खंड (ii) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति की नियंत्री कंपनी, समनुषंगी कंपनी, सहयुक्त कंपनी या उसका संबद्ध पक्षकार है :

परंतु स्पष्टीकरण 1 के खंड (iii) की कोई बात ऐसे किसी समाधान आवेदक को वहां लागू नहीं होगी, जहां ऐसा आवेदक कोई वित्तीय अस्तित्व है और निगमित ऋणी से कोई संबंधित पक्षकार नहीं है :

परंतु यह और कि "संबंधित पक्षकार" पद में ऐसा कोई वित्तीय अस्तित्व सम्मिलित नहीं होगा, जो किसी वित्तीय क्षेत्र विनियामक द्वारा विनियमित है और यदि वह निगमित ऋणी का वित्तीय लेनदार है और वह दिवाला प्रारंभ होने की तारीख से पूर्व, मात्र ऋण को ईक्विटी शेयरों में संपरिवर्तित या प्रतिस्थापित करने या ईक्विटी शेयरों में संपरिवर्तनीय लिखतों के मद्दे निगमित ऋणी का संबंधित पक्षकार है ;

* * * * *

केन्द्रीय सरकार की वित्तीय सेवा प्रदाताओं आदि को अधिसूचित करने की शक्ति ।

227. इस संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार, यदि वह आवश्यक समझती है, तो वित्तीय क्षेत्र के उपयुक्त विनियामकों के परामर्श से वित्तीय सेवा प्रदाताओं या वित्तीय सेवा प्रदाताओं के प्रवर्ग को, उनकी दिवाला और समापन कार्यवाहियों के प्रयोजनों के लिए जो इस संहिता के अधीन की जा सकें, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, अधिसूचित कर सकेगी ।

* * * * *

नियम बनाने की शक्ति ।

239. (1) * * * *

(2) उपधारा (1) के उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, केंद्रीय सरकार निम्नलिखित किन्हीं विषयों के लिए नियम बना सकेगी, अर्थात्:—

* * * * *

(च) धारा 10 की उपधारा (2) के अधीन निगमित आवेदक द्वारा निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया आरम्भ करने के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के समक्ष आवेदन करने का प्ररूप, रीति और फीस;

* * * * *

विनियम बनाने की शक्ति ।

240. (1) * * * *

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियमों में निम्नलिखित विषयों में से सभी या किन्हीं के संबंध में उपबंध हो सकेंगे, अर्थात्:—

* * * * *

(झ) धारा 14 की उपधारा (2) के अधीन निगमित ऋणी को अनिवार्य वस्तुओं या सेवाओं की पूर्ति;

* * * * *

MGIPMRND—4269LS(CRC)—10-12-2019.